



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

20 आषाढ़, 1947 (श०)

संख्या - 349 राँची, शुक्रवार,

11 जुलाई, 2025 (ई०)

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

संकल्प

20 जून, 2025

संख्या-07/हो०गा० (आरोप)-03/2024-3666--महानिदेशक-सह-महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवा, झारखण्ड, राँची का पत्रांक- 661, दिनांक- 28.03.2024 एवं पत्रांक- 616, दिनांक-21.03.2025 (Memo of Charges) के द्वारा श्री हरिहर सिंह मुंडा, तत्कालीन जिला समादेष्टा, झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी, राँची के विरुद्ध आरोप गठित कर आरोप पत्र उपलब्ध कराया गया है ।

2. उक्त आरोपों के संबंध में विभागीय पत्रांक-1980, दिनांक 08.04.2024 के द्वारा श्री मुंडा से स्पष्टीकरण की मांग की गयी ।

3. उक्त के क्रम में श्री मुंडा के द्वारा अपने पत्रांक- 905, दिनांक- 20.05.2024 के द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री मुंडा के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की विभागीय स्तर पर गहन समीक्षा की गयी ।

4. श्री हरिहर सिंह मुंडा, तत्कालीन जिला समादेष्टा, झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी, राँची सम्प्रति जिला समादेष्टा, पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों के क्रम में उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को स्वीकार करते हुए भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं हो, के आधार पर "चेतावनी" संसूचित करने का निर्णय लिया गया है ।

5. उक्त प्रस्ताव पर माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री हरिहर सिंह मुंडा, तत्कालीन जिला समादेष्टा, झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी, राँची सम्प्रति जिला समादेष्टा, पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर को दी जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ओम प्रकाश तिवारी,
सरकार के संयुक्त सचिव ।
